

परिशिष्ट-6

((प्रपत्र-‘स’) ‘पृष्ठ 4/4)

भाग-द

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र :
(आवेदन पत्र के भाग-‘अ’, ‘ब’ एवं ‘स’ की फोटो कापी पर जारी किया जाए)

--- वार्ड / योजना / मोहल्ला / सेक्टर में स्थित भूखण्ड संख्या ---
पर निर्मित भवन के सम्बन्ध में दिए गए उपरोक्त प्रमाण पत्र का परीक्षण श्री ---
(पदनाम) --- विकास परिषद द्वारा दिनांक --- को कर लिया गया है एवं
विकास कार्य परिषद द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उत्तर प्रदेश
नगर योजना और विका अधिनियम, 1973 की धारा-15 क (2) के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र जारी
किया जाता है।

हरताक्षर

पदनाम

कार्यालय की मुहर

दिनांक